रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

DIR|2021

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21—जुलाई 27, 2007 (आषाढ़ 30, 1929)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21—JULY 27, 2007 (ASADHA 30, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2007

सं. एनएचबी.एच.एफ.सी.डी.आई.आर.20/सीएमडी/2007--राष्ट्रीय आवास बैंक संतुष्ट है कि, सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (राआ बैंक) निर्देश, 2001 तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात् :--

अनुच्छेद 26, व्याख्या में (1)--

उप-व्याख्या (3) में, मद(बी), निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(ख)(i) अचल सम्पत्ति गिरवी रख कर लिये 20 लाख रुपए तक के व्यैक्तिक आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्तियां वर्गीकृत किया गया है।	50
(ख)(ii) अचल सम्पत्ति गिरवी रख कर लिये 20 लाख रुपए से अधिक के व्यैक्तिक आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्तियां वर्गीकृत किया गया है।	75

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK
(Wholly Owned by the Reserve Bank of India)

New Delhi, the 6th July 2007

No. NHB.HFC.Dir.20/CMD/2007.—The National Housing Bank is satisfied that in the public interest it is necessary so to do hereby in exercise of the powers conferred on it by Sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further amended in the following manner, namely :-

In paragraph 26 in Explanations (1)

In Sub-Explanation (3), for item (b), the following shall be substituted namely :-

(b) (i) Housing loans to individuals up to Rs. 20 Lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets	50
(b) (ii) Housing loans to individuals above Rs. 20 Lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets	75

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

No. NHB.HFC.Dir.20/CMC/2007.—The National Housing Bank is satisfied that in the public interest it is necessary so to do hereby in exercise of the powers conferred on it by Sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further emended in the following manner, namely :-

In chapter II-Acceptance of Public Deposits, sub-paragraph (1) (a) of Paragraph 11 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall be substituted by the following, namely :-

"1(a) On and from July 6, 2007 no housing finance company shall invite or accept or renew any public deposit at a rate of interest exceeding twelve and a half percent per annum such interest being payable or compounded at rests which should not be shorter than monthly rests."

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

सं. एनएचबीएचएफसीडीआईआर21/सीएमडी/2007--राष्ट्रीय आवास बैंक संतुष्ट है कि, सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात् :--

अध्याय-II में--आवास वित्त कंपनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 11 के उप-अनुच्छेद (1)(ए), सार्वजनिक जमा स्वीकार करना, को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''1(ए) 6 जुलाई, 2007 को और से कोई भी आवास वित्त कंपनी साढ़े बारह प्रतिशत, प्रतिवर्ष, की दर से अधिक पर कोई भी सार्वजनिक जमा आमंत्रित या स्वीकार या नवीनीकरण नहीं करेगी, यह ब्याज जमा शेष पर देय या परिकलित होगा जो एक माह से कम नहीं होनी चाहिए।''

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक